संख्या—1656/14—2—2014—800 (101)/2014

प्रेषक,

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

C.E/Dk Tyagi

वन अनुभाग—2 लखनऊ, दिनांक 27 जून, 2014

विषयः— जनपद गाजियाबाद में शहरी क्षेत्र में राजनगर फ्लाई ओवर गाजियाबाद से हापुड़ रोड किमी0 21 से 26.868 डासना फ्लाई ओवर तक चौड़ीकरण हेतु 4.474 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 369 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या—2410/11सी—गाजियाबाद, दिनांक 09—06—2014 तद्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के संलग्न **सैद्धांतिक स्वीकृति** संख्या—08बी/06/120/2013/एफसी/1308, दिनांक 13—11—2013 व **विधिवत् स्वीकृति** संख्या— 08बी/ यू0पी0/06/120/2013/एफसी/164, दिनांक 01—6—2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2— इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जनपद गाजियाबाद ने शहरी क्षेत्र में राजनगर फ्लाई ओवर गाजियाबाद से हापुड़ रोड किमी0 21 से 26.068 डासना फ्लाई ओवर तक चौड़ीकरण हेतु 4.474 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 369 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तों एवं राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तो का समावेश करते हुये प्रदान करते हैं:—

(1) भा.स. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर अर्थात 4.474 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो तरफ दो से तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) भा.स. एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

(5) भा.स. परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(6) भा.स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(7) भा.स. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जायेगा

(8) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जा जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न

115/आ0/23
28/6/14

(9) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(11) भा.स. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(12) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(13) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।

(14) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(15) भा.स. भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी रकमी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0 25230, कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जायेगा।

(16) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण स्पष्ट Lincar Plan प्रस्तुत करें Erow एवं Prow स्पष्ट इंगित हो।

(17) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(20) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक

[illegible] (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से [illegible] अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(21) प्रस्तावित अनुमति स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा ही किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, लौगिंग, लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के उपान का [illegible] प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक- 5-1/2007-एफ0सी0, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(22) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(23) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- वन संरक्षक, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6- प्रभागीय सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजियाबाद।
7- सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।